दो रुपये TWO RUPEES दो रुपये TWO RUPEES एक रुपया ONE RUPEE

166

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक–   /2012

R 2293-II/12

श्रीमती विमलेश सिंह पत्नी श्री सूर्यभान सिंह बघेल, निवासी–ग्राम जनवार, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

श्री अमित भार्गव अभि० द्वारा आज दि. 23-7-2012 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

----आवेदिका

बनाम

1 म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला पन्ना (म.प्र.)

2. प्रेमलाल पुत्र श्री मनोहर यादव, निवासी–ग्राम जनवार, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

---अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना, द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/स्वमेव निगरानी/अ–21/11–12 में पारित आदेश दिनांक 05/07/2012 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोद्‌य

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

A. Bhargava
अमित भार्गव (अधि०)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, भूमि सर्वे क्रमांक 223, रकवा 2.02 हेक्टर दिनांक 12/02/1974 को अनावेदक क्रमांक 2 को पट्टे पर प्रदान की गयी थी। अनावेदक क्रमांक 2 उपुर्यक्त भूमि का भूमि स्वामी था। आवेदिका ने अनावेदक क्रमांक 2 के स्वत्व के विषय में राजस्व अभिलेख की छानबीन कर उपर्युक्त भूमि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27/11/1999 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख में दिनांक 20/04/2001 को आवेदिका का नामातंरण हो गया था। आवेदिका ने भूमि क्रय करने के पश्चात् लगभग 4–5 लाख रूपये व्यय कर 5 एकड़ भूमित में फलदार वृक्ष लगायें है, नलकूप स्थापित किया है एवं आवासीय मकान भी बनाया है। जिसमें परिवार सहित निवासरत् है।

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

2. यह कि, जिला पंचायत सदस्य की शिकायत पर कलेक्टर महोदय ने

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2293-दो/2012 जिला पन्ना

विमलेश विरूद्ध शासन व प्रेमलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 23/स्व.निग./अ-21/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05-07-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 12.3.19 सदस्य	